मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2012/1312 दिनांक : 20.09.12

कार्यालय आदेश

M/s Shivek Labs Ltd. Chandigarh की वर्ष 2012–13 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक Tender No.F.01 (01)/RMSCL/PROCUREMENT/2012/01 Dated 13/01/2012 के तहत प्राप्त दरों में से औषधि कोड नं. 17, 22, 26, 79, 84, 93, 95, 96, 97, 272 एवं 277 की दरें न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधियां सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 348, 349 एवं 366 दिनांक 26.06.12, क्रय आदेश क्रमांक 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409 एवं 410 दिनांक 06.07.2012 जारी किये गये थे। फर्म द्वारा उपरोक्त क्रयादेशों से सम्बन्धित औषधियों की सप्लाई स्मरण पत्र एवं नोटिस जारी करने पश्चात भी आज दिनांक तक नहीं की गई। जिससे रोगीयों को उक्त दवाईया नहीं मिल पाई।

फर्म ने औषधि Ciprofloxacin Tablets IP 500 mg film Coated (Code no. 103) का क्रय आदेश क्रमांक 1121 दिनांक 10.02.12 बिना L-1 फर्म से दर मैच करे, गलत तथ्य प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से क्रय आदेश प्राप्त कर लिया ।

वर्ष 2011–12 हेतु फर्म की अनुमोदित औषधियों के तहत सप्लाई की गई Paracetamol IP Syrup के 8 बैच तथा Oral rehydration salts 20.5gm का एक बैच Empanelled Lab द्वारा अवमानक कोटि के घोषित किये गए है। जोकि एक गंभीर अनियमितता हैं।

अतः फर्म द्वारा अतिआवश्यक औषधियों की agreement करने के बावजूद आपूर्ति नही करने, औषधि Ciprofloxacin Tablets IP 500 mg film Coated (Code no. 103) का क्रय आदेश फर्जी तरीके से गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्राप्त करने, एवं अवमानक कोटि की औषधियों के अनेक बैच सप्लाई करने से निविंदा की शर्तो के उल्लंघन के दोषी (Defaulter) होने के कारण इस आदेश को जारी करने की तिथि से दो वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है। निविदा शर्तो की शर्त संख्या 13(6), 13(7), 13(8), 19 19(3) एवं 19(9) तथा अनुबन्ध की शर्त संख्या–1 के तहत दोषी मानते हुए फर्म की जमा/समायोजित प्रतिभूति राशि क्रमशः रूपये 3857600/–(पंजाब नेशनल बैंक की बैंक गारन्टी) एवं रूपये 18369610/– जब्त की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2012/1312 दिनांक : 20.9.12.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.।
4. निदेशक, PH/RCH/HA/AIDS/MSU/IEC, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब/ हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश/ चण्डीगढ़
6. Drug Controller General (India), New Delhi
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश/चण्डीगढ़
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त /L/EPM, आर.एम.एस.सी.।
11. Senior Manager, PNB House, Sec. 17B, Chandhigarh-160017
12. M/s Shivek Labs Ltd.,Village Kishanpura, Dist-Solan, Baddi (HP), Tel : 01795-236911-12 Fax No- 01795-236932./Chandigarh
13. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)
आर.एम.एस.सी.